न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास श्री सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 53 / 2022 / प्रार्थना पत्र / बउनवान / रमेशचन्द बनाम राकेश वगै.
जीसीएमएस संख्या 2022 / 153

1. रमेशचन्द आयु 64 साल पुत्र श्री हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी मऊ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)

..........प्रार्थी

बनाम

1. राकेश शर्मा आयु 35 साल पुत्र श्री बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी म.नन. 230 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा, जिला कोटा (राज0)
2. मुकेश कुमार पुत्र श्री केसरी लाल जाति कोली निवासी मऊ तहसील मांगरोल जिला बारा (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साबह तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0
वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

वकील प्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा
वकील अप्रार्थी :– श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांकः 18.07.2022 **निर्णय दिनांक : 30.04.2026**

~ : निर्णय : ~

प्रार्थीगण निम्नलिखित निवेदन करता हैं :–

1. यह कि प्रार्थी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है :–

शंकरलाल (फौत)

- कन्हैयालाल पुत्र (फौत) लाऔलाद
- हीरालाल पुत्र (फौत)
  - बृजमोहन पुत्र
    - राकेश प्रति.क्रम 1
  - ओमप्रकाश पुत्र
  - रमेशचन्द पुत्र(प्रार्थी)
  - महावीर पुत्र(फौत)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

2. यह कि कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल मृतक खातेदार की ग्राम मऊ तहसील मांगरोल के खाता संख्या 1164 में रकबा 0.11 हैक्टयर आराजी दर्ज हो रही है, कन्हैयालाल की मृत्यु दिनांक 11.09.1995 को हो चुकी है और अभी तक विरासत का इन्तकाल दर्ज नही किया गया है।
3. यह कि कन्हैयालाल जी प्रार्थी के पिता हीरालाल के बड़े भाई थे और 20 वर्ष की आयु में ही वन विभाग में नौकरी लग जाने से सदा अपनी नौकरी पर जिला बारां के बाहर ही रहे और इस प्रकार ग्राम मऊ में इनका कोई निवास स्थान या घर नही है। जब कभी वार – त्यौहार आते थे, तो प्रार्थी के निवास पर ही ठहरते थे, कन्हैयालाल जी अविवाहित थे, इसलिए इनके कोई सुलभी औलाद नही थी।
4. यह कि मुताबिक पारिवारिक सजरा सभी पारिवारिक सदस्यों के सामने ग्राम मऊ तहसील मांगरोल में एक धार्मिक समारोह में कन्हैयालाल ने कहा कि मैने माह जून 1995 में कोटा में स्थित मकान व नगदी राशि जो भी मेरे पास थी वह बृजमोहन के बेटे राकेश अप्रार्थी क्रम 1 को दे दी है और ग्राम मऊ तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं. 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर प्रार्थी रमेश को देता हूँ। क्योंकि प्रार्थी ही इस आराजी को काश्त करता चला आ रहा है। इस पर सभी पारिवारिक सदस्यों ने सुना और सुनकर सहमति देते हुऐ कहा कि हम इस बात के साक्षी है कि आज अगस्त के महीने मे सन् 1995 में बड़े पापा कन्हैयालाल जी ने उनके खाते की आराजी खसरा नं. 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर वाके ग्राम मऊ प्रार्थी रमेश को दे दी है।
5. यह कि कन्हैयालाल जी ने कभी भी उपरोक्त वर्णित आराजी को काश्त नही किया है, और न ही अप्रार्थी नं. 1 ने आराजी को काश्त किया है, अप्रार्थी नं. 1 द्वारा लगातार प्रयास करने के बाद भी तहसीलदार मांगरोल फौती इंतकाल अप्रार्थी नं. 1 के नाम दर्ज नही कर रहा है, इसके अलावा अप्रार्थी नं. 1 व कन्हैयालाल जी ने 50 वर्षों से कभी भी प्रार्थी के कब्जे को चुनौती नही दी है।
6. यह कि इन्तकाल दर्ज न होने की स्थिति में अप्रार्थी नं. 1 ने पुलिस थाना मांगरोल से मिलकर प्रार्थी को आराजी से बेदखल करने की योजना बनाई , और एक दिन पुलिस थाना मांगरोल के सिपाहियों को लेकर आराजी पर पुहंच गया और थाने के सिपाहियों ने प्रार्थी को डराया, धमकाया तथा बंद करने की धमकी दी और कहा कि यह आराजी राकेश की है, इन्तकाल नही खुला तो क्या हुआ आराजी को यह ही काश्त करेगा और राकेश से आराजी की हंकाई करा दी। इसमें अप्रार्थी नं. 2 का सहयोग रहा है जबकि एक काबिज काश्त व्यक्ति को बेदखल करने का कोई अधिकार पुलिस थाना मांगरोल को नही है, यह राजस्व न्यायालय के अधिकारों का उल्लघंन है व गैर कानूनी है।
7. यह कि प्रार्थी ने थानाधिकारी मांगरोल से कहा कि इस आराजी को लगभग 50 वर्षों से मैं काश्त कर रहा हूँ, मुझे इस तरह बेदखल नही किया जा सकता। लेकिन अप्रार्थी नं. 1 व पुलिस कर्मचारियों ने वादी की एक न सुनी और अप्रार्थी नं. 1 के कहने पर अप्रार्थी नं. 2 ने आराजी को हांक दिया।
8. यह कि प्रार्थी गत 50 वर्षों से उपरोक्त वर्णित आराजी को लगातार काश्त करते रहने से खातेदारी पाने का अधिकारी है व विरूद्ध अप्रार्थी नं. 1 व 2 अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकारी है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थी नं. 1 व 2 दखलअंदाजी न करे। अप्रार्थी नं. 1 व 2 अपनी कानूनी प्रक्रिया अपनाकर प्रार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र है। लेकिन बल प्रयोग नही कर सकते है। प्रार्थी ने वर्तमान में सोयाबीन की फसल बो दी है, जो जमीन के बाहर निकल आ रही है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

9. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल का अभी इन्तकाल किसी भी पक्षकार के नाम दर्ज नही हुआ है। इसलिए प्रार्थी अपने पक्ष में उपरोक्त वर्णित आराजी की खातेदारी घोषणा कराकर अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।
10. यह कि प्रार्थी का गत् 50 वर्षो से कब्जा काश्त है प्रार्थी वर्तमान में काबिज काश्त होकर काश्त कर रहा है, सोयाबीन की फसल बो रखी है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मुकदमा प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थी को बलपूर्वक बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को ज्यादा असुविधा, नुकसान होगा क्योंकि प्रार्थी काश्त कर रहा है जबकि अप्रार्थीगण ने कभी आराजी को काश्त नही किया है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।
11. यह कि सुसंगत तथ्य दौराने बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला वाद एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल पर किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न करें प्रार्थी को शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करने देवें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं गहनता से मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम मऊ तहसील मांगरोल के खाता संख्या 22 खसरा नंबर 1164 रकबा 0.11 हैक्टर भूमि में जवाब पेश होने तक काश्त व्यवस्था में दखलअंदाजी नही करें एवं न ही ऐसा अपने प्रतिनिधि से करावें। अप्रार्थीगण को जो भी कथन कहना हो, दिनांक 14.09.2022 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी द्वारा फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम का अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा निम्न जवाब प्रस्तुत किया है :–

1. प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 सजरा स्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में उपरोक्त आराजी कन्हैयलाल पुत्र शंकरलाल खसरा नं. 1164 रकबा 0.11 हैक्टर दर्ज होना स्वीकार है तथा मृत्यु दिनांक 11.09.1995 को कन्हैयालाल जी की कोटा में हुई थी जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 29.09.95 को जारी किया है।
3. प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 अस्वीकार है और कथन है कि कन्हैया लाल जी नौकरी के दौरान अंतिम समय तक दादाबाड़ी कोटा में ही निवास करते आ रहे है तथा उनकी अवेर–सवेर राकेश शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा द्वारा किये जाने के कारण उन्होंने ही अवेर–सवेर की थी क्योंकि कन्हैया लाल जी के कोई जाइन्दा पुत्र नही था लेकिन अप्रार्थी क्रम नं. 1 द्वारा अंतिम समय तक अवेर – सवेर करने के कारण कन्हैयालाल जी ने राकेश शर्मा के पक्ष में दिनांक 15.06.1995 को वसीयतनामा लिखवाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया था जो वसीयतनामा अंतिम व आखरी हैं।

उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

4. प्रार्थना पत्र की मद नं. 4 अस्वीकार है और कथन हैं कि कभी भी कन्हैयालाल जी ने 1164 की 0.11 हैक्टर प्रार्थी को नही दी व न ही प्रार्थी ने उक्त भूमि पर कभी काश्त किया तथा इस वास्ते प्रार्थी ने लड़ाई – झगड़ा करने की कोशिश की तो उसकी रिपोर्ट थाना मांगरोल में अप्रार्थी क्रम नं. 4 ने प्रार्थी के पक्ष खिलाफ की तो थाना मांगरोल द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि कन्हैयालाल जी की जमीन जो मुताबिक वारिस राकेश को करने का अधिकार होगा।
5. प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 अस्वीकार है। कन्हैयालाल जी की उपरोक्त भूमि उनके जीवनकाल से ही अप्रार्थी क्रम नं. 1 काश्त करता चला आ रहा है। मुताबिक वसीयत उक्त भूमि में इंतकाल खोलने की प्रक्रिया तहसील मांगरोल में लंबित हैं।
6. प्रार्थना पत्र की मद नं. 6 अस्वीकार है।
7. प्रार्थना पत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है और कथन हैं कि पुलिस थाना मांगरोल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई हैं।
8. प्रार्थना पत्र की मद नं. 8 अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई कानूनी अधिकारात हासिल नही है तथा जबरन अप्रार्थी क्रम नं. 1 को परेशान कर लड़ाई–झगड़ा पर आमादा है। जबकि उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम नं. 1 मुकेश को मजदूर लगाकर स्वयं काश्त करता आ रहा है, जिसे रोकने का प्रार्थी को कोई अधिकारात हासिल नही है।
9. प्रार्थना पत्र की मद नं. 9 अस्वीकार है और कथन हैं कि उपर्युक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 1164 रकबा 0.11 हैक्टर वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल में स्थित जो भूमि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में मुताबिक सजरा उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 15.06.1995 को कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल ने समस्त चल च अचल सम्पति की अपने भतीजे राकेश शर्मा के पक्ष में करवा रखी है तब से ही उक्त भूमि पर मुताबिक वसीयत 15.06.1965 के अनुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त में होने पर मुताबिक वसीयत अपने पक्ष में अप्रार्थी क्रम नं. 1 अपने नाम खातेदारी घोषणा करवा पाने का अधिकारी हैं क्योंकि प्रार्थी क्रम नं. 1 उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा हैं।
10. प्रार्थना पत्र की मद नं. 10 अस्वीकार हैं और कथन हैं कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है और न ही काश्त की, उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थी क्रम 1 लगातार निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है तथा स्वयं प्रार्थी ने थाना मांगरोल में यह लिखकर दिया हैं कि जो भूमि राकेश के नाम दादाजी कन्हैयालाल जी ने की है उस पर मैं कोई विवाद नही करूंगा, इस जमीन को वह स्वयं करें या किसी को मुनाफाकाश्त पर जुपाये मेरा कोई मतलब नही है इसलिए यह कहाना कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है, गलत व असत्य कथन हैं और प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी क्रम नं. 1 मुताबिक वसीयत व न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 49/2012 में कन्हैयालाल जी का उत्तराधिकारी मानते हुऐ उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें प्रार्थी स्वयं अप्रार्थी क्रम नं. 6 पक्षकार के रूप में बनाया गया था। जिसमें रमेशचंद ने कोई जवाब प्रस्तुत न कर, कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की, इसलिए अब यह माना जावेगा कि कन्हैया लाल का उत्तराधिकारी केवल अप्रार्थी क्रम नं. 1 ही हैं तथा तुलनात्मक सुविधा का संतुलन भी मुताबिक दस्तावेज अप्रार्थी क्रम नं. 1 के पक्ष में हैं।
11. प्रार्थना पत्र की मद नं. 11 का जवाब बहक मौखिक रूप से दे दिया जावेगा।

प्रार्थना प्रार्थी अस्वीकार हैं तथा विशेष कथन व कांउटर क्लेम निम्नानुसार हैं :–

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

1. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णतया असत्य कथन पर प्रस्तुत किया है क्योंकि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में मुताबिक सजरा उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 15.06.95 को अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में लिखवाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर प्रार्थी को सुपुर्द कर दी थी तब से ही अप्रार्थी उक्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा हैं।
2. यह कि अप्रार्थी क्रम नं. 1 को न्यायालय जिला एवं सेंशन न्यायाधीश महोदय, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 39/2012 में राकेश बनाम प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 के तहत न्यायालय द्वारा उत्तराधिकारी मानते हुऐ उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें अप्रार्थी क्रम नं. 3 का नाम पक्षकार के रूप में मौजूद हैं। इस प्रकार उक्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में अप्रार्थी क्रम नं. 1 राकेश शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा को कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल का उत्तराधिकारी माना गया हैं इसलिए मुताबिक वसीयत दिनांक 15.06.95 व उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के तहत अप्रार्थी क्रम नं. 1 उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है जिसमें प्रार्थी को आपत्ति करने का कोई अधिकार हासिल नही हैं इसलिए प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं वह खारिज किये जाने योग्य है।
3. यह कि अप्रार्थी क्रम नं. 1 ने कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल शर्मा की अवेर – सवेर करने के कारण सारा जीवन अप्रार्थी क्रम नं. 1 के यहां गुजारा और इसी के मुताबिक वसीयतनामा समस्त चल व अचल सम्पत्ति का मालिक व स्वामी अप्रार्थी क्रम नं. 1 है को कन्हैयालाल जी लिखवाकर अप्रार्थी क्रम नं. 1 के सुपुर्द कर गये उसी के मुताबिक उपरोक्त भूमियां अप्रार्थी क्रम 1 के नाम दर्ज होनी हैं जिसका अप्रार्थी क्रम नं. 1 अधिकारी तथा नालिशी भी हैं। प्रार्थी जबरन अवैधानिक तरीके से गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथ्यों को तोड़मरोड़कर उक्त भूमि का मालिक व स्वामी बनना चाहता हैं जिसका कि उसे कोई कानूनी अधिकारात हासिल नही हैं इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त भूमियां ग्राम मऊ में खाता संख्या नया 22 पुराना 16 की खसरा नं. 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर मुताबिक वसीयतनामा अप्रार्थी क्रम नं. 1 वारिस होने के कारण राजस्व रेकार्ड में कन्हैया लाल पुत्र शंकर लाल के स्थान पर अप्रार्थी क्रम नं. 1 राकेश का नाम दर्ज करवाने की आज्ञा अप्रार्थी क्रम नं. 3 को दी जावें।
4. यह कि प्रार्थी उक्त भूमि अवैधानिक तरीके से अपने नाम दर्ज करवाने की जो कोशिश कर रहा हैं वह कथन बिल्कुल अस्तय हैं और जबरन लड़ाई–झगड़ा कर भूमि पर कब्जा करना चाहता हैं जिसका कि उसे कोई कानूनी अधिकारात हासिल नही है इसलिए प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना आवश्यक हैं कि अप्रार्थी क्रम नं. 1 के कब्जे काश्त में कोई दखलअंदाजी न तो स्वयं करें एवं न ही अपने प्रतिनिधि से करवायें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी क्रम नं. 1 का जवाब काउण्टर क्लेम स्वीकार कर ता फेसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि मुताबिक वसीयत दिनांक 15.06.1995 उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा के मुताबिक ग्राम मऊ तहसील मांगरोल में स्थित आराजी खसरा नं. 1164 रकबा 0.11 हैक्टर के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी अप्रार्थीगण न तो स्वयं करें

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

एवं न ही अपने प्रतिनिधि से करवाये तथा अप्रार्थी क्रम नं. 1 को शांतिपूर्वक उक्त काबिज काश्त करने देवें तथा उपयोग व उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न न करें।

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का प्रार्थी द्वारा निम्न जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया है :—

1. काउन्टर क्लेम की मद नं. 1 स्वीकार नही हैं। आराजी खसरा नंबर 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल बाबत् वसीयतनामा में दिनांक 15.06.1995 में एक शब्द भी अंकित नही हैं इसलिए वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 आराजी को अपने पक्ष में दर्ज कराने का अधिकारी नही है और न ही आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 का कब्जा रहा है। यहां तक वसीयतकर्ता कन्हैयालाल जी का भी आराजी खसरा नंबर 1164 पर कभी कब्जा काश्त नही रहा हैं क्योंकि गिरदावरी सम्वत् 2015 — 2018 में सब टीनेन्ट हीरालाल ब्राह्मण दर्ज हो रहा हैं। हीरालाल वादी के पिता थें और हीरालाल ही आराजी को प्रारम्भ से ही काश्त करते चले आ रहे थे। जमाबंदी संवत् 2009 — 2012 , 2013 — 2015 वाके ग्राम मऊ में काश्त जैली हीरालाल दर्ज हो रही हैं। उक्त राजस्व दस्तावेज से यह साबित हैं कि विवादित आराजी 1164 पूर्व खसरा नंबर 1070 व प्रथम सेटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 2592 / 1084 पर कब्जा काश्त वादी के पिता हीरालाल व हीरालाल की मृत्यु के बाद वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। इस प्रकार टीनेन्सी एक्ट 1955 प्रभावी होने के दिन वादी प्रार्थी के पिता काबिज काश्त थें और लगातार कब्जा काश्त आराजी होने से वादी आराजी खसरा नंबर 1164 / 0.11 हैक्टयर की सहखातेदारी की घोषणा अपने पक्ष में करवाने का अधिकारी हैं।
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.2018 प्रकरण संख्या 49 / 2012 बउनवान राकेश शर्मा बनाम प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वगैरा बाबत् उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जो कि प्रतिवादी क्रम 1 राकेश शर्मा के पक्ष में पारित किया गया है, उक्त प्रकरण में वादी भी अप्रार्थी क्रम 5 पक्षकार था लेकिन वादी ने कोई आपत्ति नही की क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र मात्र मृतक कन्हैयालाल जी के द्वारा बैंकों में जमा धनराशि बाबत् जारी किया गया था, जो कि सही है। उक्त वसीयतनामा में आराजी वाके ग्राम मंऊ खसरा नंबर 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर बाबत् एक शब्द भी नही होने से जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 31.08.2018 में भी आराजी खसरा नंबर 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर बाबत् कोई आदेश नही दिया गया है इसलिए उक्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 31.08.2018 इस आराजी पर प्रभावी नही हैं क्योंकि मृतक कन्हैयालाल जी ने आराजी खसरा नंबर 1164 वाके ग्राम मऊ की वसीयत प्रतिवादी क्रम 1 राकेश के पक्ष में कभी की ही नही थी। उक्त आराजी तो प्रारम्भ से ही हीरालाल जी के कब्जे काश्त में चली आ रही थी।
3. काउन्टर क्लेम की मद नं. 3 स्वीकार नही हैं। वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं। वसीयत में आराजी खसरा नंबर 1164 का हवाला नही है। प्रतिवादी क्रम 1 को वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी हुआ है न कि गोद पुत्र या वारिस के आधार पर क्योंकि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 31.08.2018 में अप्रार्थी क्रम 3 ता 7 सभी मृतक कन्हैयालाल के उत्तराधिकारी

उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

है क्योंकि वादी के पिता व वादी के पिता के बाद वादी का कब्जा काश्त आराजी होने पर मृतक कन्हैयालाल पूर्व में ही वादी को आराजी दे चुके थें और इस बाबत् प्रतिवादी क्रम 1 के पिता बृजमोहन जी ने भी कभी आपत्ति नही की हैं।

4. काउन्टर क्लेम की मद नं. 4 स्वीकार नही हैं। आराजी खसरा नंबर 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर पर वादी/प्रार्थी का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं और आज भी कब्जा काश्त हैं। प्रतिवादी क्रम 1 थाना मांगरोल के कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर वादी को आराजी से बेदखल करना चाहता हैं।

अतः जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर काउन्टर क्लेम अप्रार्थी क्रम 1 व 2 खारिज फरमाने का निवेदन किया हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम का जवाब, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब उल जवाब का अद्योपान्त अवलोकन कर चिंतन व मनन किया जाकर बहस उभय पक्षकारान सुनी जाकर अवलोकन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.2018 प्रकरण संख्या 49/2012 बउनवान राकेश शर्मा बनाम प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वगैरा बाबत् उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जो कि प्रतिवादी क्रम 1 राकेश शर्मा के पक्ष में पारित किया गया है, उक्त प्रमाण पत्र मात्र मृतक कन्हैयालाल जी के द्वारा बैंकों में जमा धनराशि बाबत् जारी किया गया था, जो कि सही है। उक्त वसीयतनामा में आराजी वाके ग्राम मंऊ खसरा नंबर 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर बाबत् एक शब्द भी नही होने से जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 31.08.2018 में भी आराजी खसरा नंबर 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर बाबत् कोई आदेश नही दिया गया है इसलिए उक्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिनांक 31.08.2018 इस आराजी पर प्रभावी नही हैं।

आराजी खसरा नंबर 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल बाबत् वसीयतनामा में दिनांक 15.06.1995 में एक शब्द भी अंकित नही हैं इसलिए वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 आराजी को अपने पक्ष में दर्ज कराने का अधिकारी नही है और न ही आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 का कब्जा रहा है। यहां तक वसीयतकर्ता कन्हैयालाल जी का भी आराजी खसरा नंबर 1164 पर कभी कब्जा काश्त नही रहा हैं क्योंकि गिरदावरी सम्वत् 2015 – 2018 में सब टीनेन्ट हीरालाल ब्राह्मण दर्ज हो रहा हैं। हीरालाल वादी के पिता थें और हीरालाल ही आराजी को प्रारम्भ से ही काश्त करते चले आ रहे थे। जमाबंदी संवत् 2009 – 2012 , 2013 – 2015 वाके ग्राम मऊ में काश्त जैली हीरालाल दर्ज हो रही हैं। उक्त राजस्व दस्तावेज से यह साबित हैं कि विवादित आराजी 1164 पूर्व खसरा नंबर 1070 व प्रथम सेटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 2592/1084 पर कब्जा काश्त वादी के पिता हीरालाल व हीरालाल की मृत्यु के बाद वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। इस प्रकार टीनेन्सी एक्ट 1955 प्रभावी होने के दिन वादी प्रार्थी के पिता काबिज काश्त थें और लगातार कब्जा काश्त आराजी होने से वादी आराजी खसरा नंबर 1164/ 0.11 हैक्टयर की सहखातेदारी की घोषणा अपने पक्ष में करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी का गत् 50 वर्षो से कब्जा काश्त है प्रार्थी वर्तमान में काबिज काश्त होकर काश्त कर रहा है, सोयाबीन की फसल बो रखी है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मुकदमा प्रार्थी के पक्ष में बनता है। यदि प्रार्थी को बलपूर्वक बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को ज्यादा

उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

असुविधा, नुकसान होगा क्योंकि प्रार्थी काश्त कर रहा है जबकि अप्रार्थीगण ने कभी आराजी को काश्त नही किया है। इस प्रकार अपूर्णनीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होने से ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित किया जाना आवश्यक हैं कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल पर किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न करें, प्रार्थी को शांतिपूर्ण तरीकें से काश्त करने देवें।

:: क्रियात्मक आदेश ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजस्व रिकॉर्ड तथा बहस उभय पक्षकारान के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण क्रम 1 , 2 के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जाती हैं कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी म खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.11 हैक्टयर वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल पर किसी प्रकार की दखलान्दाजी न करें प्रार्थी को शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त करने देवें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तामील तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

सौरभ भाम्बू (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल